कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। उन्हें हर जगह राजनीति तलाशने की आदत है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो उन्हें देश की गरिमा और सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। —— अनिल राजभर, मंत्री, उप्र सरकार

तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम शहर व पूरे देश में भारतीय सशस्त्र बलों को सलाम और सम्मान देने के लिए निकले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरह से हमारी सेनाओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया वह सराहनीय है। —— बृजेश पाठक, डिप्टी सीएम, उप्र

डीयू कुलपति का 'एक्स' अकाउंट 'फॉलो' करने व 'पोस्ट' साझा का नोटिस वापस लिया गया

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से सम्बद्ध शहीद भगत सिंह कॉलेज ने अपने छात्रों और कर्मचारियों से कुलपति योगेश सिंह के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल को 'फॉलो' करने और भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता व्यक्त करने वाले उनके 'पोस्ट' को सक्रिय रूप से साझा करने के अनुरोध वाले नोटिस को वापस ले लिया है। कॉलेज के प्राचार्य प्रो अरुण कुमार अत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा नोटिस जारी किया गया था और इसका कुलपति से कोई लेनादेना नहीं है।

■ भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता व्यक्त करने वाले 'पोस्ट' का मामला

उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इन नेक इरादों का गलत अर्थ निकाला, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया। अब वापस लिए जा चुके और 12 मई की तारीख वाले नोटिस में कहा गया था कि कॉलेज के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों से अनुरोध है कि वे कुलपति प्रो. योगेश सिह के आधिकारिक ट्विटर (अब 'एक्स') अकाउंट को फॉलो करें। नोटिस में कहा गया कि कॉलेज समुदाय को मंच के माध्यम से साझा किए गए 'पोस्ट' को 'रीट्वीट' करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है' ताकि देश के रक्षा बलों के प्रति समर्थन और कृतज्ञता जताई जा सके। इसमें कहा गया कि इन संदेशों को आगे बढ़ाकर हम न केवल उनके साहस एवं बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे बल्कि हमारे समुदाय में राष्ट्रीय गौरव एवं एकता की मजबूत भावना पैदा करने में भी योगदान देंगे। इस नोटिस पर कॉलेज प्राचार्य के हस्ताक्षर थे।

प्राचार्य अत्री ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए यूजीसी के राष्ट्र प्रथम अभियान के तहत नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का डीयू कुलपति प्रो योगेश सिंह से कोई लेनादेना नहीं है। कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इसे वापस ले लिया है।

डीयू अकादमिक परिषद की सदस्य प्रो माया जॉन ने नोटिस की आलोचना करते हुए कहा किसी को 'एक्स' पर फॉलो करना या नहीं करना व्यक्ति की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। किसी अधिकारी को किसी अन्य अधिकारी द्वारा फॉलो करने का निर्देश न केवल सनक है, बल्कि छात्रोंऔर शिक्षकों के बीच चापलूसी की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। प्रो जॉन ने कहा कि डीयू के एक कॉलेज प्राचार्य द्वारा यह निर्देश अत्यंत निदनीय है।

'आप' ने लगाया भाजपा पर निजी स्कूल प्रबंधकों से मिलीभगत का आरोप

नई दिल्ली (एसएनबी)। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निजी स्कूल प्रबंधकों के साथ मिलीभगत करके फीस बढ़ोतरी का आरोप लगाया है। 'आप' के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में भाजपा सरकार निजी स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट छिपा रही है, क्योंकि भाजपा सरकार स्वयं निजी स्कूलों के प्रबंधकों से मिली हुई है।

■ निजी स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट छिपा रही भाजपा सरकार

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस न देने पर बच्चों को स्कूल बेइज्जत कर रहा है। द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने 34 बच्चों के नाम काट दिए और जब अभिभावक विरोध करने पहुंचे तो स्कूलों ने बाहर बाउंसर खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अभिभावकों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है।

भारद्वाज ने कहा कि राजधानी के सैकड़ों स्कूलों में मनचाही फीस बढ़ोतरी की गई है। अभिभावकों ने थक हारकर फीस दे दी। जिन अभिभावकों ने फीस नहीं दी, उनके बच्चों को तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है। देश की राजधानी में अभिभावकों की कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी स्कूलों का ऑडिट करा लिया, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकार ऑडिट रिपोर्ट छिपाकर किसकी चोरी छुपाना चाहती है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा निजी स्कूल प्रबंधकों से मिली हुई है।

बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ने वाली महिला गुजारा भत्ता की हकदार : अदालत

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक महिला का अपने बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ना 'स्वैच्छिक परित्याग' नहीं होता है, इसलिए वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने 13 मई को जारी एक आदेश में कहा कि इस स्थिति को बच्चे की देखभाल करने के परम कर्तव्य के परिणाम के तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को अंतरिम भरण-पोषण देने संबंधी निचली अदालत के आदेश को खारिज करने से मना कर दिया। पति ने निचली अदालत के अक्टूबर 2023 के उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें उसे (पति को) अलग रह रही अपनी पत्नी और बच्चे को 7,500 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया था।

उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता पति को निर्देश दिया कि वह महिला को निचली अदालत द्वारा निर्धारित मासिक राशि देना जारी रखे, साथ ही अपने बच्चे के लिए अलग से प्रतिमाह 4,500 रुपए दे। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से स्थापित तथ्य है कि नाबालिग बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी माता या पिता पर असमान रूप से पड़ती है, जो अक्सर पूर्णकालिक रोजगार की उनकी क्षमता को सीमित कर देती है, खासकर उन मामलों में जहां मां के नौकरी पर होने के दौरान उसके बच्चे की देखभाल में परिवार का कोई सहयोग नहीं मिलता है। फैसले में कहा गया है कि महिला द्वारा रोजगार छोड़ने को 'काम का स्वैच्छिक परित्याग' नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे बच्चे की देखभाल के परम कर्तव्य के परिणामस्वरूप आवश्यक माना जाता है। व्यक्ति ने निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि महिला उच्च शिक्षा प्राप्त थी और पहले दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षिका के रूप में काम करती थी, जिससे वह प्रतिमाह ट्यूशन फीस सहित 40,000 से 50,000 रुपए अर्जित करती थी। पति ने दावा किया था कि महिला कमाने और खुद का तथा बच्चे का भरण-पोषण करने में सक्षम थी, लेकिन उसे (पति को) परेशान करने के इरादे से याचिका दायर की गई। अपीलकर्ता ने दलील दी थी कि परिवार अदालत ने इस तथ्य पर विचार न करके त्रुटि की है कि महिला अपनी मर्जी से ससुराल से चली गई थी। अदालत के आदेश के बावजूद उसने अपने पति के साथ अपने वैवाहिक संबंध फिर से शुरू नहीं किए।

■ बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ना 'स्वैच्छिक परित्याग' नहीं

■ अंतरिम भरण-पोषण देने संबंधी निचली अदालत के आदेश को रखा बरकरार

पति ने दावा किया कि वह अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे के साथ रहने को तैयार है। उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि वह हरियाणा में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है और प्रतिमाह केवल 10,000 से 15,000 रुपए ही कमाता है, इसलिए वह अंतरिम भरण-पोषण संबंधी निचली अदालत के आदेश का पालन करने में असमर्थ है। दूसरी ओर, महिला ने दलील दी कि वह बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के कारण काम करने में असमर्थ थी। उसने कहा कि उसका पिछला रोजगार उसे उचित भरण-पोषण से वंचित करने का वैध आधार नहीं है। उसने दलील दी कि चूंकि उसे आने-जाने में बहुत समय लगता था और उसे घर के पास काम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने अपना शिक्षण करियर छोड़ दिया।

पालतू जानवरों की दुकानों में बड़े पैमाने पर क्रूरता : सर्वेक्षण

नई दिल्ली (भाषा)। एक नई सर्वेक्षण रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पालतू जानवरों की दुकानों में खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर छोटी उम्र के कुत्तों को बेचा जा रहा है और भीड़भाड़ व गंदे तथा छोटे बाड़ों में उन्हें रखा जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के पशु कानून प्रकोष्ठ द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दिल्ली में संचालित पालतू जानवरों की 34 दुकानों की स्थिति को दिखाया गया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि यहां पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम, 2018 का उल्लंघन खुले आम हो रहा है।

रिपोर्ट में उजागर किया गया कि इन दुकानों में कानून के तहत निर्धारित उम्र से कम आयु के कुत्तों को बेचा जा रहा है, उन्हें गंदगी वाली, छोटी जगहों में रखा जा रहा है जो पशु कल्याण कानूनों की अवहेलना की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट में कहा गया कि पालतू जानवरों की कई दुकानें बिना लाइसेंस संचालित की जा रही हैं, उचित चिकित्सा देखभाल का अभाव है और संचालक अवैध तरीके से प्रजनन कराने वालों (ब्रीडर्स) से जानवरों को खरीद रहे हैं।

पशु कानून प्रकोष्ठ की संयोजक प्रोफेसर सुनंदा भारती ने कहा, 'बेजुबान जानवर तो अपनी पीड़ा नहीं बता सकते लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों की अनदेखी साफ देखी जा रही है।' भारती ने कहा, 'यह रिपोर्ट दिखाती है कि जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून तो बने हैं लेकिन इन्हें लागू नहीं किए जाने से इनका कोई मतलब नहीं रह गया है। अधिकारियों को अब कार्रवाई करने की जरूरत है।' रिपोर्ट में नियमों का उल्लंघन करने वाली पालतू जानवरों की इन दुकानों को तत्काल बंद करने, नियमों का उल्लंघन कर रखे गए जानवरों को जब्त करने और वन्यजीवों और जानवरों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए सख्त निगरानी सहित तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है।

नेता प्रतिपक्ष ने एमसीडी कमिश्नर से की मुलाकात

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने बुधवार को निगम आयुक्त अश्वनी कुमार से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान अंकुश नारंग ने उनसे एमसीडी के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और उनसे समाधान का आग्रह किया। अंकुश ने बताया कि उन्होंने निगमायुक्त अश्वनी कुमार से यूजर्स चार्जेज हटाए जाने और शहर की साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात काफी सकारात्मक रही और निगमायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेंगे और जहां तक संभव हो सकेगा उन पर कार्रवाई करेंगे। अंकुश नारंग ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर वे जल्द ही मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह से भी मुलाकात करेंगे और दिल्लीवासियों के हित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते रहेंगे।

आशा है गवई का कार्यकाल न्याय के उच्चतम आदर्शों को कायम रखेगा : केजरीवाल

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को बधाई दी है।

'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को हार्दिक बधाई। आशा है कि उनका कार्यकाल न्याय के उच्चतम आदर्शों को कायम रखेगा और न्यायपालिका में लोगों का विश्वास मजबूत करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री व दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश बनने पर हार्दिक बधाई दी है।

■ न्यायपालिका में लोगों का विश्वास मजबूत होगा

आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेने के लिए जस्टिस बीआर गवई को हार्दिक बधाई। उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में न्याय, समानता व संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जारी रहेगी। हमारे लोकतंत्र के स्तंभों को और मजबूती मिलेगी और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

युवाओं को एआई स्किल से किया लैस

नई दिल्ली (एसएनबी)। नैसकॉम फाउंडेशन के सहयोग से कैपजेमिनी ने अपने एआई फॉर स्किलिंग कार्यक्रम के माध्यम से 700 से अधिक वंचित रह गये युवाओं को सफलतापूर्वक कुशल और प्रमाणित किया है। नेसकॉम फाउंडेशन की सीईओ ज्योति शर्मा के अनुसार जैसे-जैसे भारत एआई-संचालित भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, एआई में दक्ष कुशल कार्यबल की मांग बढ़ती जा रही है। कैपजेमिनी और नैसकॉम फाउंडेशन की साझेदारी युवाओं को जनरेटिव एआई, रोबोटिक्स, फिनटेक और बहुत कुछ में अत्याधुनिक कौशल से लैस करके इस मांग को पूरा करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एआई फॉर स्किलिंग पहल के तहत कैपजेमिनी के साथ हमारा सहयोग एक समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था के हमारे साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां हाशिए पर पड़े युवाओं को भाग लेने और एआई तक पहुंचने की बाधाओं को तोड़ने का अवसर मिलता है। भविष्य के लिए तैयार कौशल को सक्षम करके और मूलभूत, मुख्य-कार्य कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, हम भारत के युवाओं की क्षमता में निवेश कर रहे हैं ताकि वे उभरते डिजिटल अवसरों को पूरी तरह से अपना सकें।

आईआईपी ने मनाया 59वां स्थापना दिवस

नई दिल्ली (एसएनबी)। भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) ने अपना 59वां स्थापना दिवस समृद्धि के लिए पैकेजिंगः नवाचार, स्थिरता एवं वैश्विक पहुंच विषय पर आधारित एक प्रभावशाली कार्यक्रम के साथ मनाया, जिसमें देशभर से पैकेजिंग क्षेत्र से जुड़े 200 भागीदारों ने भाग लिया। आईआईपी के निदेशक आरके मिश्रा ने कहा इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य आने वाले वर्षों में प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों के लिए एक स्पष्ट दिशा तय करना है। हमारा ध्यान अपनी क्षमताओं के प्रति एक मजबूत प्रतिष्ठा निर्माण पर है, ताकि हमारा टैलेंट न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी रोजगार सृजन में सार्थक योगदान दे सके।

पश्चिम मध्य रेल

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता, विद्युत लोको शेड, तुगलकाबाद नई दिल्ली-44, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जिनकी बंद होने की तिथि समय क्रमशः 02.06.2025 है। निविदाकार बंद होने की तिथि व समय तक अपनी मूल/संशोधित अपनी निविदा आफर जमा कर सकते हैं। मैन्यूवल निविदा आफर स्वीकार्य नहीं है। विवरण इस प्रकार हैः- **निविदा सं.**: टीकेडी-09-2025, **कार्य का नाम व स्थानः** "थ्री फेज लोकोमोटिव के कैब में एयर कंडीशनर का रेट्रोफिटमेंट एवं कैब में थर्मल इंसुलेशन का प्रावधान", **मात्राः** शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार, **अनुमानित लागत (₹में)**: ₹ 8,25,63,304.04, **निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹में)**: शून्य, **बयाना राशि (₹ में)**: ₹ 5,62,800.00, **समापन अवधिः** 18 माह, **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि/समयः** 02.06.2025, 15:30 बजे, **नोटः 1.** ई-निविदा प्रपत्र एवं ई-निविदा से सम्बंधित पूर्ण जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। **2.** इस ई-टेंडर के लिए कोई मैन्युअल ऑफर मान्य नहीं है तथा ऐसा कोई मैन्युअल ऑफर प्राप्त होता है तो भी वह मान्य नहीं होगा। **3.** इस टेंडर से सम्बंधित कोई आवश्यक संशोधन यदि जरूरी हो तो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा, जिसे टेंडर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। **4.** टेंडरर(निविदादाता) के पास क्लास-।।। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तथा IREPS पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता, टी.आर.एस.
विद्युत लोको शेड, तुगलकाबाद नई दिल्ली-44

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

पूर्वोत्तर रेलवे

नोटिस नं-पी.ए.डी.-01/2025

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा लाइसेंसी एवं विभागीय खानपान यूनिटों तथा एम.पी.एस.यूनिटों पर आपूर्ति हेतु निम्नलिखित PAD (Proprietary Article Depot) उत्पादों की प्रतिष्ठित ब्रांडों वाले कम्पनियों/फर्मों आदि को शर्टलिस्ट करने हेतु विनिर्माताओं से निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन आमंत्रित करते हैं। **उत्पादों का विवरणः क्र.सं.**-1. बिस्किट्स, 2. ऐरेटेड ड्रिंकः सील्ड बोतल एवं कैन में, 3. कनफेक्शनरी आइटम चॉकलेट सहित, 4. मिठाइयाँः सील्ड बॉक्स एवं कैन में, 5. केक, 6. नमकीन, 7. चिप्स, 8. चायः पैकेट में थोक पैक एवं टी बैग, 9. काफी पाउडरः पैकेट में थोक पैक एवं पाउच, 10. टोमैटो कैचपः बोतल/पाउच-1 किलो पैक एवं 12 से 15 ग्राम पाउच, 11. ड्राई फ्रूट्स, 12. दही (सीलबंद कप में), 13. बेबी फूडः शिशुओं के लिये पाउडर वाला दूध, 14. बेबी फूडः अनाज मिक्स, 15. फ्रूट जूसः टेट्रा पैक/सील्ड बोतल एवं कैन में, 16. फ्रूट ड्रिंकः टेट्रा पैक/सील्ड बोतल एवं कैन में, 17. मिल्क प्रोडक्ट्स (टेट्रा पैक/पेट बोतल में पैक्ड फ्लेवर्ड मिल्क/लस्सी/बटर मिल्क, 18. मक्खनः फॉयल/ब्लिस्टर पैक में, 19. अचारः पाउच/ब्लिस्टर पैक में, 20. ब्लिस्टर पैक जैम, 21. चीनी पाउच, 22. डेयरी क्रीमर पाउच, 23. पैक्ड बेकरी उत्पाद, 24. आइसक्रीम, 25. रेडी टू ईट (आरटीई) मील, 26. पैक्ड नारियल पानीः टेट्रा पैक/पेट बोतल में, 27. पैक्ड नीबू पानीः टेट्रा पैक/पेट बोतल में, 28. पेठा, 29. रेवड़ी, 30. गजक, 31. पेड़ा, 32. दालमोंठ।

क्र.सं.1, आवेदन फार्म जारी करने की तिथि एवं समयः अन्य विवरणः दिनांक 15.05.2025 से 03.06.2025 तक (समय 11.00 बजे से 17.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों में) एवं दिनांक 04.06.2025 को 11.00 बजे से 13.00 बजे तक। **क्र.सं.2, आवेदन फार्म का मूल्यः** रू.5900/- (रू 5000/- + 18% GST) (रू. पाँच हजार नौ सौ मात्र) प्रति फार्म (non-refundable, in any case), **क्र.सं.3, आवेदन फार्म उपलब्धता का स्थानः** आवेदन फार्म इस रेलवे के वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है, (निर्धारित मूल्य रू. 5900/- (रू 5000/- + 18% GST) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो PFA पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के नाम से देय, आवेदन के साथ अलग से संलग्न करें), या पूर्वोत्तर रेलवे के किसी भी स्टेशन पर निर्धारित मूल्य रू.5900/- (रू 5000/- + 18% GST) को जमा करवाकर इसकी मूल Money Receipt (MR) प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर कार्यालय के खानपान अनुभाग में प्रस्तुत करने पर आवेदन फार्म प्राप्त किया जा सकता है। **क्र.सं.4, आवेदन फार्म का मूल्यः** रू.5900/- (रू 5000/- + 18% GST) (रू. पाँच हजार नौ सौ मात्र) प्रति फार्म (non-refundable, in any case), **क्र.सं.5, आवेदन फार्म जमा करने की तिथि एवं समयः** दिनांक 04.06.2025 को 11.00 बजे से 15.00 बजे तक, **क्र.सं.6, सील बंद आवेदन जमा करने का स्थानः** (नामित ड्राप बॉक्स में डालें) प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर-273012 कार्यालय के सवाप्र/कैटरिंग के कक्ष में। **क्र.सं.7, सील बंद आवेदन फार्म खुलने की तिथि एवं समयः** दिनाँक 04.06.2025 को 15.30 बजे, **नोटः** किसी भी जानकारी/सहायता हेतु मो. सं. 9794845968 या 9794840968 कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। **सहायक वाणिज्य प्रबन्धक/कैटरिंग**

मुजाधि/वा0-34 गोरखपुर

"ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें"

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-टेंडरिंग निविदा सूचना

वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजीनियर (टीआरएस), लोको शेड, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा सूचना सं. M/DSL/IZN/TC/OT/94 के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य के लिए, सिंगल पैकेट सिस्टम के आधार पर खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

कार्य का नाम - डिस्मेंटलिंग, क्लीनिंग एण्ड माइनर अटेंशन्स ऑफ हिटैची ट्रेक्शन मोटर्स (एचएस 15250ए) ऐट लोको शेड, इज्जतनगर फॉर दा पीरियड ऑफ 02 ईयर्स, **कार्य की अनुमानित कुल लागत** : रु. 12,53,574/- (सभी कर सहित), **अर्नेस्ट मनी/बिड सिक्योरिटी** : रु. 25,100/-, **निविदा प्रपत्र का मूल्य** : रु. 0.00 (शून्य), **कार्य की अवधि** : 02 वर्ष, **ई-निविदा बंद होने की तिथि एवं समय** : दिनांक 10.06.2025 को समय 15:00 बजे।

• निविदाकार ई-निविदा को दिनांक 10.06.2025 को समय 15:00 बजे तक ऑनलाईन जमा कर सकेंगे। • पूर्ण विवरण एवं ई-निविदा को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखें। **वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजीनियर(टीआरएस)**

मुजाधि/विद्युत-32 लोको शेड, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट संख्या-01, सैक्टर नॉलेज पार्क- 4 ग्रेटर नौएडा सिटी गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

सार्वजनिक सूचना

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत M/s Devika Gold Homz Pvt. Ltd. भूखण्ड संख्या - GH-06C. Sector- 101. Greater Noida को दिनांक 17.12.2020 को मानचित्र स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त विकासकर्ता द्वारा (Group Housing Project) का आंशिक अधिभोग प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन संख्या CC-10051 दिनांक 27.03.2025 है। तत्क्रम में UP- Apartment Act&-2010, Amendment 2016 in Section 4 Sub Section E के अन्तर्गत परियोजना के आवंटियों से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति मानचित्र एवं Declarations as per UP Apartment Act-2010 परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9:30 से सायं 6:00 बजे के मध्य नियोजन विभाग में तथा प्राधिकरण की वेबसाईट पर किया जा सकता है।

अत उपरोक्त परियोजना के आवंटियों द्वारा Sanction Map एवं Declarations as per UP Apartment Act-2010 के सम्बन्ध में सूचना प्रकाशित करने के 30 दिनों के अन्दर आपत्तिया / सुझाव आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त के निहितार्थ अपनी आपत्तिया लिखित रूप में अपने आवंटन पत्र, नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार्यदिवस में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, भूखण्ड संख्या-1, नॉलेज पार्क -4, ग्रेटर नोएडा में स्थित महाप्रबन्धक (नियोजन / वास्तु०) को सम्बोधित करते हुए सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों के अन्दर जमा करायी जा सकती है।

महाप्रबन्धक (नियो० / वास्तु०)
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

JUBILANT FOODWORKS

सीआईएन : L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 1ए, सैक्टर 16ए, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
कॉर्पोरेट कार्यालयः 15वां तल, टॉवर ई, स्काईमार्क वन, प्लॉट नं. एच–10/ए, सैक्टर–98, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश
फोनः +91-120-6927500; +91-120-6935400
ईमेलः investor@jublfood.com, वैबसाइटः www.jubilantfoodworks.com

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित समेकित और एकल वित्तीय परिणामों का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने 14 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित समेकित और एकल वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी।

परिणाम लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वैबसाइट https://www.jubilantfoodworks.com/investors-shareholder-information-stock-exchange-filings पर प्रसारित किए गए हैं और क्यूआर कोड को स्कैन करके इन्हें देखा जा सकता है।

के निदेशक मण्डल की ओर से
जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
श्याम एस. भरतिया
अध्यक्ष एवं निदेशक
डीआईएन नं. 00010484

स्थानः नोएडा
दिनांकः मई 14, 2025

नोट : उपरोक्त सूचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार है।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल)

Arcil

विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए
एआरसीआईएल कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400 028।
वेबसाइट : https://auction.arcil.co.in; CIN-U65999MH2002PLC134884

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के नियमों को पढ़ते हुए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (सरफेसी एक्ट) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

सामान्य जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं)/गॅरेन्टर (ओं) /बंधककर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के पास गिरवी रखी/प्रभारित की गई है, विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों (''एआरसीआईएल'') के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए (पंजीकृत असाइनमेंट समझौतों के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्ति के असाइनमेंट के अनुसार), को अतिरिक्त ब्याज, शुल्कों और लागत आदि सहित बकाया राशि की वसूली के लिए ऑनलाइन ई–नीलामी के माध्यम से ''जहां है'', ''जैसा है'', और ''जो कुछ भी है'' और ''बिना किसी सर्मथन के आधार पर'' पर बेचा जाएगा, जैसा कि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 (''रूल्स'') के नियम 6, 8 और 9 के नियमों को पढ़ते हुए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (''एक्ट'') के प्रावधानों के संदर्भ में नीचे बताया गया है।

उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता/ गॅरेन्टर / बंधककर्ता के नाम	एलएएन नंबर और विक्रय बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफेसी सूचना की तिथि 24.01.2023 के अनुसार बकाया राशि	कब्जे का प्रकार और तिथि	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	ई–नीलामी की तिथि और समय
उधारकर्ताः 1. सचिन राय 2. शालू राय	कर्ज खाता क्र. HHLLAJ00141627 एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (''ईएआरसी'')	एआरसीआईएल –सीपीएस–IV– ट्रस्ट	रु. 9,75,439/- (रुपए नौ लाख पचहत्तर हजार चार सौ उनतालीस मात्र) 16.10.2017 तक + अतिरिक्त ब्याज + कानूनी व्यय	वास्तविक कब्जा 24.10.2024 को	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्लैट	रु. 3,61,000/- (रुपए तीन लाख इकसठ हजार मात्र)	रु. 36,10,000/- (रुपए छत्तीस लाख दस हजार मात्र)	17.06.2025 को दोपहर 03.00 बजे

नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण : **सचिन राय के स्वामित्व वाली संपत्तिः**
**फ्लैट नंबर बी–1105, ग्यारहवीं मंजिल पर, जिसका सुपर ए